N.O.C

11/12

तेरापा- 1266/15-7-16(174)/1995

प्रेषक,

श्री अशोक गर्ग्युगी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र, 2 सामुदायिक केन्द्र
प्रीत विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 17 अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 अगस्त, 1995

विषय:- सेन्ट फ्रान्सिस कान्वेन्ट स्कूल संजय नगर बरेली को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

7/9/95 महोदय,

JDE

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट फ्रान्सिस कान्वेन्ट स्कूल संजय नगर बरेली को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की प्रस्तावित सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

5. संस्था शैक्षिक वर्ष विद्यालय कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

6. कर्मचारियों की नियुक्ति करायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य

Principal
St. Francis Convent School
Sanjay Nagar, Bareilly

Manager
St. Francis Convent School
Sanjay Nagar, Bareilly

FR. JULIAN PINTO
Principal
St. Francis Convent Senior Secondary School
SANJAY NAGAR, BAREILLY (U.P.)

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध पत्र भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त कर्मचारियों को वेतन का भुगतान बैंक खाता अन्तरण पद्धति से किया जा रहा है तथा उपेक्षा पूर्वक लिये जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है प्रोफार्मा पूर्वक के संबंध में प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव/निर्णय की प्रति तथा बैंक एकाउन्ट की सत्यापित फोटो प्रति माह में उपलब्ध करायी जायेगी ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव ।

संख्या 1266-सा-111/15-7-1995 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय उप निदेशक बरेली ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ।
4- निरीक्षक, अखिल भारतीय विद्यालय, उपक्षेत्र लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, सेन्ट फ्रान्सिस कान्वेन्ट इण्टर कॉलेज संजयनगर बरेली ।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव ।

FR. [illegible] PINTO
[illegible]
[illegible] Convent Secondary School
[illegible] BAREILLY (U.P.)

Principal
St. Francis Convent School
Sanjay Nagar, Bareilly

Manager
St. Francis Convent School
Sanjay Nagar, Bareilly